



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016

नि. 3593-10/16

29

- 1- सिद्ध पिता दुला, जाति बागरी,
आयु-75 वर्ष, धंधा खेती,
- 2- मांगीलाल पिता दुला, जाति बागरी
आयु-70 वर्ष, धंधा खेती,
- 3- वरदीराम पिता दुला, जाति बागरी
आयु-60 वर्ष, धंधा खेती,
- 4- मदन पिता पिता दुला, जाति बागरी
आयु-50 वर्ष, धंधा खेती,
- 5- थावर पिता पिता दुला, जाति बागरी
आयु-45 वर्ष, धंधा खेती,
सभी निवासीगण-ग्राम गुरला तह.
नागदा जिला उज्जैन — आवेदकगण

श्री. सुनील सिंह जयसैन, कानपुर
द्वारा आज दि. 17-10-16
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

284
17-10-16


25-11-16
17-10-16

विरुद्ध

- 1- पेमा पिता भुवान, जाति बागरी,
निवासी-ग्राम गुरला तह. नागदा जिला
उज्जैन म.प्र. — अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के
न्यायालय के प्रकरण क्रं. 712/15-16 अपील के आदेश दिनांक
26/09/2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अन्तर्गत धारा
50 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत है :-

(Signature)




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3593-पीबीआर/2016

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभियंता आदि के हस्ताक्षर
7-6-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26-9-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-10-16 को लगभग एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र विलम्ब का कारण दर्शाते हुये प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>